

केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570 website:www.kvsangathan.nic.in

Date: 02.05.2016

F. 11029-06/2013-KVS/(HQ)/(Admn-1) / Vol-II

OFFICE-ORDER

Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) vide office-order of even number dated 04.03.2014, conveyed approval of Government of India, for establishing 54 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. Kendriya Vidyalaya, Ambah, District Morena, Madhya Pradesh and Kendriya Vidyalaya Jamai, Distt. Chhindwara, Madhya Pradesh are one of these 54 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of Kendriya Vidyalaya Ambah, District Morena, Madhya Pradesh, and Kendriya Vidyalaya Jamai, Distt. Chhindwara, Madhya Pradesh has been transferred in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, the sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start these new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with immediate effect in academic session 2016-17 at the following locations:-

S.No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Ambah, District Morena,	C/o Excellence School, Khajoori Road, Post Office-
	Madhya Pradesh	Ambah, District Morena- 476111 (MP)
2.	Kendriya Vidyalaya Jamai, Distt.	C/o Aadim Jaati, Kalyan Vibhag Model School, Tehsil
	Chhindwara, Madhya Pradesh	Junardev (Jamai), Distt. Chhindwara- 480551 (MP)

The above Vidyalayas will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2016-17 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

(S. Vijayakumar) Joint Commissioner (Admn.)

Distribution:-

- PS to HRM-cum-Chairman KVS.
- Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairman, KVS.
- Sr. PPS to Additional Secretary (SE), MHRD-cum-Vice-Chairperson, KVS.
- 4. PS to Commissioner, KVS.
- PS to Additional Commissioner (Admn./Acad.), KVS.
- Joint Commissioner (Acad.), KVS HQ with the request to issue staff sanction order.
- 7. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, Jabalpur and Agra with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of Parliamentary Constituency in which this school fall, for record of this office.
- 8. The Principal Secretary (Education), Govt. of Madhya Pradesh.
- 9. The District Collector, Distt. Morena, and Chhindwara, Madhya Pradesh for information
- The Superintending Engineer, KVS w.r.t F.110111/343/2014-KVSHQ/Works & 344 dated 11.04.2016 & 18.04.2016.
- 11. Secretary, CBSE 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92.
- 12. All Officers/Sections, KVS Hgrs.
- 13. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
- Director, all ZIETs, KVS.
- 15. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
- 6. President/Secretary recognized KVS Staff Association.
- 17. Guard File.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570 website:www.kvsangathan.nic.in

दिनांक: 02.05.2016

with the same and the same

ず・11029-06/2013-KVS(HQ)(Admn-I)/Vol. II

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) के दिनांक 04.03.2014 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के दवारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 54 नए केन्द्रीय विद्वालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की 🛊 पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाती है। केन्द्रीय विद्यालय अम्बा, जिला मोरेना, मध्यप्रदेश, और केंद्रीय विव्यालय जानई, जिला फिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश उपरोक्त स्वीकृत 54 नए केन्द्रीय विव्यालयों में से एक है।

चुँकि केंद्रीय विद्यालय अम्बा, जिला मोरेला, मध्यप्रदेश और केंद्रीय विद्यालय जामई, जिला फिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ने भूमि का अधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय शैक्तिक सब 2018-17 में तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने के लिए आयुक्त, के वि.सं. की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्वासय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	कंद्रीय विद्यालय अम्बा, जिला मोरेना, मध्यप्रदेश	C/o एक्सलेन्स स्कूल, खजूरी रोड, पोस्ट ऑफिस -अम्बा, जिला मोरेना- 478111 (मध्यप्रदेश)
2	केंद्रीय विद्यालय जामई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश	C/o आदिम जाति कल्याण विभाग मॉडल स्कूल, तहसील- जुन्नारदेव (जामई) जिला छिन्दवाड़ा- 480551 (मध्यप्रदेश)

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सब 2016-17 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन) संचामित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की लियि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

पजया कमार है (एस. विजयाक्माह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)

वितरण:

- 1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव-।
- 2, सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- 3. अपर सचिव (स्कूल शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- 4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
- 5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) केविसं के निजी सचिव।
- 6. संयुक्त आयुक्त (ही.) केविसं(मू.) को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ संस्तुति आदेश जारी करें।
- 7. उपायुक्त, केविसं की. का. जबलपुर एवं आगरा की इस अनुरोध के साध कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर के.वि. को संचामित करे। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेत् इस कार्याभय में भेजे।
- 8. प्रिन्सिपल संक्रेटरी (शिक्षा) मध्यप्रदेश सरकार।
- 9. जिला कलेक्टर, मोरेना एवं क्रिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
- 10. अधिक्षण अभियंता केविसं की उनकी फ़ाइन संख्या F.110111/343/2014-KVSHQ/Works, एवं 344 दिनांक 11.04.2016 एर्ट 18.04.2016 के संबंध में।
- 11. सचिव, के.मा.शि. बी. 2, कम्बुनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
- 12. केविसं (मृ.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
- 13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
- 14 निदेशक, के.बि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण जांचलिक संस्थान।
- 15. उपायुक्त इं.डी.पी. की के.हि.सं. की वैबसाइट पर जपलीड करने के लिए।
- 16. अध्यक्षांसचिवं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
- 17. गार्ड फ़ाइस।